भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 100*

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/06 अग्रहायण, 1941 (शक)

घरेलू वस्त्र कामगारों का शोषण

***100. श्री संजय सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उप-ठेकेदारों और फैशन ब्रांडों द्वारा घरेलू वस्त्र कामगारों के हो रहे शोषण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे शोषण को रोकने और दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

घरेलू वस्त्र कामगारों के शोषण के संबंध में श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 27.11.2019 को पूछे जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 100* के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): राज्य सरकारें घरेलू वस्त्र कामगारों, इन कामगारों और फैशन ब्रांडों को कार्यबद्ध करने वाले उप-ठेकेदारों पर लागू श्रम कानूनों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ समुचित सरकारें हैं। राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेन्सियां कामगारों के नियोजन और सेवा-शर्तों को विनियमित करने तथा शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 सहित विभिन्न श्रम कानूनों का कार्यान्वयन करती हैं। मजदूरी संहिता, 2019 अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी का भुगतान, मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम भुगतान न होना, मजदूरी का समय पर भुगतान तथा लिंग के आधार पर कामगारों के बीच भेदभाव रोकने के लिए कामगारों को समान पारिश्रमिक, सुनिश्चित करती है।

****